222/20 प्रयाती Vs धर्मपाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
04/7/24.	वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। कई बार रूक-2 कर आवाजें दिलाई गई वादीगण की ओर से कोई उपस्थिति नहीं आया। फलतः वादीगण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वादीगण का वाद अदम पैरवी में खारिज हजारी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तदानुसार निर्णीत होकर पत्रावली अभिलेखागार कराई जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.08.06 10:37:42 IST
Reason: SelfAttested